न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडराराड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–1 आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं. 55/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पदमसिंह पुत्र आम्बसिंह 2. दुर्गसिंह पुत्र आम्बसिंह 3. अर्जुनसिंह पुत्र आम्बसिंह 4. कानसिंह पुत्र चौथसिंह 5. नखतसिंह पुत्र चौथसिंह 6. पृथ्वीसिंह पुत्र चौथसिंह 7. विजयसिंह पुत्र चौथसिंह 8. शेरसिंह पुत्र चौथसिंह 9. हिन्दुसिंह पुत्र चौथसिंह 10 रूखमाकंवर पत्नी चौथसिंह, जाति– राजपुत, नि0 खारिया डेर, मगरा तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़, जिला– बाडमेर

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. राज पेरोकार तहसीलदार

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: आदेशः–

दिनांकः– 16.12.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2692/1307 रकबा 2.6709 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2693/1307 रकबा 2.6709 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1659/1307 रकबा 2.6709 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 4 से 10 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2691/1307 रकबा 2.6709 हैक्टेयर, मौजा–खारिया डेर, पटवार मण्डल–हरसाणी, तह0 गडरारोड़ में आये हुए है। प्रार्थीगण के उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 1307 से विभक्त खसरा नम्बर है जो कि प्रार्थीगण द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि का सहमति विभाजन के जरिये कायम हुए है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सहमति विभाजन के जरिये कायम हुए है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का नक्शा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरीत एवं प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा कम/ज्यादा अंकित हो गया जिससे वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त एक दुसरे खातेदारान के कब्जे काश्त मे आ रहा है जिससे मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त मे भिन्नता आ रही है। इसलिए प्रार्थीगण पुनः उक्त सहमति विभाजन एवं उसके संलग्न नक्शे के तहत कायम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरीत एवं रकबे से कम/ज्यादा अंकित तरमीम को निरस्त करवाकर पुनः अपनी संयुक्त खातेदारी में घोषित करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन दुरुस्ती का प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:59 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल–हरसाणी के ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 2692/1307, 2693/1307, 1659/1307, 2691/1307 रकबा कमशः 2.6709, 2.6709, 2.6709, 2.6709 हैक्टेयर का मूल खसरा नम्बर 1307 था जिसका समस्त खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से

...वारा किया था। वर्तमान मे तरमीम बंटवारा अनुसार की हुई है परन्तु खातेदार अपने कब्जे या काश्त अनुसार तरमीम नही करवा पाये इसलिए समस्त काश्तकार बंटवारे मे हुई तरमीम को निरस्त करवाना चाहते है जिसमें समस्त खातेदारों ने अपनी सहमति प्रदान की है अब नये सिरे से तरमीम करवाना चाहते है। वर्तमान लठ्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे मे की स्थिति संलग्न परिशिष्ठ–अ अनुसार दर्शायी गई है तथा मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति संलग्न परिशिष्ठ–ब अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। मौका फर्द पढ़कर सुनाई गई। जिसे उपस्थित मौतबिरानों ने मौका रिपोर्ट को सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर अंगुस्ठ किये है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ ने भी अपनी मौका रिपोर्ट तरमीम दुरस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। जबकि वास्तविक लट्ठा ट्रेस अनुसार तरमीम **संलग्न नक्शा परिशिष्ठ–ब** अनुसार ही है। अतः तहसीलदार गडरारोड़ की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **परिशिष्ठ–ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2692/1307, 2693/1307, 1659/1307, 2691/1307 रकबा कमशः 2.6709, 2.6709, 2.6709, 2.6709 हैक्टेयर भूमि मौजा–खारिया, पटवार मण्डल–हरसाणी, तह0 गडरारोड़ की भूमि की विद्यमान लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन में की गई तरमीम आवेदन के संलग्न **परिशिष्ट अ** को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शा **परिशिष्ठ–ब** अनुसार लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार तरमीम लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **परिशिष्ठ–ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)